

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग।

अधिसूचना

संख्या-5/श्रम स्था0(2)29/2005-

पटना दिनांक-

विभागीय अधिसूचना सं0-136 दिनांक 21.8.2015 द्वारा श्री जय नारायण झा, बि0प्र0से0, विशेष कार्य पदाधिकारी, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को इस विभाग का प्रथम अपीलीय प्राधिकार नामित किया गया था। श्री झा, विशेष कार्य पदाधिकारी के दिनांक 31.01.2016 को वार्द्धक्य रूप से सेवा निवृत्त होने के फलस्वरूप सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत श्री संजय कुमार सिंह, भा0प्र0से0 (बिहार संवर्ग), संयुक्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को इस विभाग का प्रथम अपीलीय प्राधिकार (सूचना का अधिकार) नामित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(अशोक कुमार सिंह)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक-5/श्रम स्था0(2)29/2005-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि प्रभारी पदाधिकारी, 'ई' गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-

(अशोक कुमार सिंह)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक-5/श्रम स्था0(2)29/2005- 252

पटना, दिनांक- 10/3/2016

प्रतिलिपि माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/श्रमायुक्त, बिहार, पटना/निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण/निदेशक, चिकित्सा सेवाएँ, कर्मचारी राज्य बीमा योजना/सभी विभागीय पदाधिकारी, श्रम संसाधन विभाग/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/आई0 टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(अशोक कुमार सिंह)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

10/3/16